<u>निर्वाचन/तत्काल</u>

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/एग्जिट/2015/एस डी आर-खण्ड-I दिनांकः 18 नवम्बर, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. मध्य प्रदेश,
2. तेलंगाना,
3. मणिपुर,
4. मिजोरम,
5. मेघालय।

विषयः- लोक सभा और मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एवं तेलंगाना राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-एग्जिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग की दिनांक 18 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 576/एग्जिट/2015/एस डी आर/ खण्ड I इस अनुरोध के साथ एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

**भवदीय,**

**(एन.टी. भुटिया)**
**अवर सचिव**

भारत के राजपत्र और
मध्य प्रदेश, मणिपुर,
मिजोरम, एवं मेघालय
राज्य के शासकीय
राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

संख्या 576/एक्ज़िट/2015/एस.डी.आर.-खण्ड-I

तारीख- 18 नवम्बर, 2015
27 कार्तिक, 1937 (शक)

## अधिसूचना

यतः, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एवं मेघालय के राज्य विधान सभाओं के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/60/2015 के द्वारा की जा चुकी है ;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 21 नवम्बर, 2015 (शनिवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराहन 05:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/60/2015 के द्वारा घोषित **मध्य प्रदेश के 24-रतलाम(अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 15-वारंगल (अ.ज.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमेईबांद एवं 5- थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-उत्तरी एजवाल-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोंगस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव